कार्यालय ज्ञाप

वर्ष 2017–18 मे शीतलहरी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के दृष्टिगत निराश्रित एवं असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों को राहत पहुँचाने हेतु शासनादेश संख्या 1651/1-10-2017-12 (34)/03टी0सी0-1 दिनांक 16 नवम्बर, 2017 व शासनादेश दिनांक 12 अगस्त, 2016 के क्रम में उ0प्र0 राज्य हथकरघा निगम, यूपिका, उ0प्र0 खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के माध्यम से उनके द्वारा वित्तपोषित एवं प्रमाणित संस्थायें श्री गाँधी आश्रम, उ0प्र0 हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम से कम्बल क्रय किये जायेगें।

अतः शासनादेश दिनांक 16 नवम्बर, 2017 में निर्धारित मानक एवं दर के अनुसार उपरोक्त संस्थायें कलेक्ट्रट–मऊ के आपदा कार्यालय कक्ष संख्या–21 में दिनांक 08.12.2017 को अपरान्ह 2.00 बजे तक अपने फर्म के कम्बल का सैम्पल एव दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें जिससे कम्बलों की गुणवत्ता एवं दर का परीक्षण जिलाधिकारी महोदय द्वारा गठित समिति द्वारा करते हुए कम्बल क्रय करने की कार्यवाही की जा सके।

अपर जिलाधिकारी,
मऊ।

कार्यालय जिलाधिकारी, मऊ।

पत्रांक 391 /आपदा/क0आ0–17 दिनांक : दिसम्बर 02, 2017

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. जिलाधिकारी महोदय को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. नगर मजिस्ट्रेट, मऊ।
3. समस्त उप जिलाधिकारी जनपद मऊ।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, मऊ।
5. सहायक निदेशक हथकरघा एवं वस्त्राद्योग, मऊ।
6. उपायुक्त, जिला उद्योग केन्द्र,मऊ।
7. प्रबन्धक, यू0पी0 इण्डस्ट्रियल को–आपरेटिव एसोसिएशन लि0 हजरतगंज लखनऊ।
8. प्रभारी, गंगोत्री, उ0प्र0हस्तशिल्प विकास एव विपणन निगम लि0 अमीनाबाद लखनऊ।
9. प्रबन्धक, उ0प्र0राज्य हथकरघा निगम लि0 हजरतगंज, लखनऊ।
10. प्रबन्धक, यूपिका हैण्डलूम एण्ड हैण्डीक्राफ्ट हाउस, सिविल लाइन, आजमगढ़।
11. प्रबन्धक, गांधी आश्रम, चौक, मऊ।
12. जिला सूचना अधिकारी, मऊ को इस निर्देश के साथ दैनिक समाचार–पत्रों में समाचार की भाँति निःशुल्क प्रकाशन कराना सुनिश्चित करें।
13. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मऊ को इस आशय से कि जनपद की वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

अपर जिलाधिकारी,
मऊ।
2/12/17

C:\Users\acer\Documents\kambal 2017-18.doc